अनुदान संख्या 57 – विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 57–DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	41319,58,00		43090,62,00	38322,87,80	–4767,74,20
पूरक	Supplementary	1771,04,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4032,70,46
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
पूरक	Supplementary			750,00,00	250,00,00	–500,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					500,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुभाग के राजस्व भाग में, कुल बचतें (476774.20 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 177104.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.476774.20 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.177104.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and constituted 11 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat - Social Services				
मू.	O.	402.00	282.45	285.96	+3.51
पु.	R.	–119.55			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education					
मू.	O.	3169006.00				
पू.	S.	177101.00		3257484.36	3202609.14	–54875.22
पु.	R.	–88622.64				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	253230.00				
पू.	S.	1.00		1.00	. .	–1.00
पु.	R.	–253230.00				
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services			18590.00	. .	–18590.00
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	679236.00				
पू.	S.	1.00		625558.21	625518.19	–40.02
पु.	R.	–53678.79				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	11494.00				
पू.	S.	1.00		3875.52	3874.51	–1.01
पु.	R.	–7619.48				

(1) 279749.00 लाख रु. का प्रावधान तैंतालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 279257.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय - मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम'' - 250.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण थे।

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा'' - अन्य व्यय'' -

(i) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान'' - 200.00 लाख रु. महालेखाकार, चंडीगढ से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) ''शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 400.00 लाख रु. स्कीम के समीक्षाधीन होने के कारण थे।

(iii) ''माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम'' - 450.00 लाख रु. कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण''-

(i) ''राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद'' - 400.00 लाख रु.

(I) Provision of Rs.279749.00 lakhs remained wholly unutilised under forty three heads; of these Rs.279257.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" –

(a) "Elementary Education – Other Expenditure - The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)" – Rs.250.00 lakhs - due to receipt of less proposals from Union Territory Governments.

(b) "Secondary Education – Other Expenditure" –

(i) "Information and Communication Technology in Schools – Grants to Union Territories without Legislature" – Rs.200.00 lakhs – due to non-receipt of reimbursement claims from AG, Chandigarh.

(ii) "Vocationalisation of Education" – Rs.400.00 lakhs - due to scheme being under revision.

(iii) "Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools" – Rs.450.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(B) Major Head "2552" –

(a) "Secondary Education - Research and Training" –

(i) "National Council of Educational Research and Training" – Rs.400.00 lakhs;

(ii) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' - 3000.00 लाख रु.;

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता''-

(i) ''केन्द्रीय विद्यालय संगठन - 3001.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) ''आदर्श विद्यालयों की स्थापना (नवोदय विद्यालय)'' - 13000.00 लाख रु.;

(ग) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय'' -

(i) ''राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन स्कीम'' - 500.00 लाख रु.;

(ii) ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' - 21052.00 लाख रु.;

(iii) ''उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी स्कीम'' - 3710.00 लाख रु.;

(iv) ''माध्यमिक विद्यालय में अशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा'' - 700.00 लाख रु.;

(v) ''माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम'' - 600.00 लाख रु.;

(vi) ''भाषा शिक्षक की नियुक्ति'' - 160.00 लाख रु.;

(घ) ''प्रारम्भिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 5000.00 लाख रु.;

(ii) "Information and Communication Technologies in schools" – Rs.3000.00 lakhs;

(b) "Secondary Education – Assistance to Non-Government Secondary Schools" –

(i) "Kendriya Vidyalaya Sangathan – Rs.3001.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);

(ii) "Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas)" – Rs.13000.00 lakhs;

(c) "Secondary Education –Other Expenditure" –

(i) "National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)" – Rs.500.00 lakhs;

(ii) "Rastriya Madyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" – Rs.21052.00 lakhs;

(iii) "Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence" – Rs.3710.00 lakhs;

(iv) "Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS)" – Rs.700.00 lakhs;

(v) "Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for students of Secondary and Higher Secondary Schools" – Rs.600.00 lakhs;

(vi) "Appointment of Language Teachers" – Rs.160.00 lakhs;

(d) "Elementary Education – Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions" – Rs.5000.00 lakhs;

(ङ.) ''प्रारम्भिक शिक्षा - अन्य व्यय''-

(i) ''विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - 80000.00 लाख रु.;

(ii) ''सर्वशिक्षा अभियान'' - 116608.00 लाख रु.;

(iii) ''मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम'' - 500.00 लाख रु.;

(च) ''प्रौढ़ शिक्षा - निदेशन और प्रशासन - प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय'' - 120.00 लाख रु.;

(छ) ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम'' -

(i) ''प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम'' - 3150.00 लाख रु.; और

(ii) ''प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता'' - 1216.00 लाख रु.;

उपर्युक्त सत्रह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ज) माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय - शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 370.00 लाख रु. - स्कीम के संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''प्रारंभिक शिक्षा - आरक्षित निधि/जमा लेखा को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि के आय और व्यय का लेखा को अंतरण'' - 18590.00 लाख रु. राज्य सरकारों को भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(e) "Elementary Education – Other Expenditure"–

(i) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" – Rs.80000.00 lakhs;

(ii) "Sarva Shiksha Abhiyan" – Rs.116608.00 lakhs;

(iii) "The Scheme for providing Quality Education in Madrassass (SPQEM)" – Rs.500.00 lakhs;

(f) "Adult Education - Direction and Administration – Directorate of Adult Education" – Rs.120.00 lakhs;

(g) "Adult Education - Other Adult Education Programme" –

(i) "Adult Education and Skill Development Scheme" – Rs.3150.00 lakhs; and

(ii) "Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education and Skill Development Scheme" – Rs.1216.00 lakhs

Provisions under the above seventeen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(h) "Secondary Education - Other Expenditure - Vocationalisation of Education" – Rs.370.00 lakhs – due to non-finalisation of the revision of scheme.

(C) Major Head "3475" – "Elementary Education – Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to Income and Expenditure Account of National Investment Fund" – Rs.18590.00 lakhs – due to non-finalisation of proposals received from State Governments and Food Corporation of India.

(घा) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान''-

(क) "शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 2580.00 लाख रु. स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण थे।

(ख) उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी स्कीम'' - 3000.00 लाख रु. राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ड.) मुख्य शीर्ष "3602'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(क) "उपस्कर - माध्यमिक शिक्षा - विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' - 400.00 लाख रु. पुडुच्चेरी सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) "माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान'' -

(i) "शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 150.00 लाख रु. स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण थे।

(ii) "माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम'' - 150.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2202'' - "प्रारंभिक शिक्षा'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "सर्व शिक्षा अभियान - सामान्य संघटक'' - 1047376.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 106590.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1153966.00

(D) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secondary Education - Other Grants" –

(a) "Vocationalisation of Education" – Rs.2580.00 lakhs – due to scheme being under revision.

(b) "Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence" – Rs.3000.00 lakhs – due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

(E) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" –

(a) "Equipment – Secondary Education – Information and Communication Technologies in Schools" – Rs.400.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Government of Pudducherry and National Capital Territory of Delhi.

(b) "Secondary Education – Other Grants" –

(i) "Vocationalisation of Education" – Rs.150.00 lakhs - due to scheme being under revision.

(ii) "National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)" – Rs.150.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals from Union Territory Governments.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2202" – "Elementary Education" – remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Sarva Shiksha Abhiyan - General Component" – the original provision of Rs.1047376.00 lakhs was augmented to

लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो राज्य कार्यान्वयन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण 16977.72 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

Rs.1153966.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.106590.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.16977.72 lakhs - due to non-finalisation of the proposals received from State implementing societies and less utilization of funds by North Eastern States.

(खा) ''विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - खाद्यान्नों की लागत'' - 140000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 70510.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 210510.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम, दिल्ली से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 67717.96 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "National Programme of Mid Day Meals in Schools - Cost of Food Grains" – the original provision of Rs.140000.00 lakhs was augmented to Rs.210510.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.70510.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.67717.96 lakhs - due to non-finalisation of proposals received from State Governments and Food Corporation of India, Delhi.

(III) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - विद्यालय शिक्षा और साक्षरता'' के अंतर्गत 116.04 लाख रु. की बचत (402.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Department of School Education and Literacy" – saving of Rs.116.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.402.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2202" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''प्रारम्भिक शिक्षा'' -

(A) "Elementary Education" –

(क) ''सर्व शिक्षा अभियान - स्थापना और संबंधित व्यय'' - 452.32 लाख रु. की बचत (2085.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त हाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Sarva Shiksha Abhiyan - Establishment and Related Expenditure" – saving of Rs.452.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2085.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less number of viable proposals and economy measures.

(ख) ''विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' -

(b) "National Programme of Mid Day Meals in Schools" –

(i) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता'' - 656.07 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान कीतुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिपूर्ति संबंधी दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(i) "Assistance to Union Territories without Legislature" – saving of Rs.656.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-receipt of reimbursement claim from Union Territories.

(ii) ''राष्ट्रीय संघटक'' - 1447.31 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मीडिया अभियान को शुरू करने संबंधी कार्यक्रम को अंतिम रूप न दिए जाने और कम प्रस्ताव प्राप्त हाने के कारण हुई।

(ग) ''आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण - प्रारम्भिक शिक्षा कोष को अंतरित की जाने वाली निधियों'' - 52680.00 लाख रु. की बचत (1278447.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''माध्यमिक शिक्षा'' -

(क) ''अनुसंधान और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद'' - 1100.00 लाख रु. की बचत (13341.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और लागत में बढ़ोतरी होने की वजह से पासिसव, भोपाल में भवन के निर्माण संबंधी कार्य में विलम्ब होने के कारण हुई।

(ख) ''गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता'' -

(i) ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' - 49418.13 लाख रु. की बचत (98346.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) ''उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी स्कीम'' - 3029.10 लाख रु. की बचत (28200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ii) "National Component" – saving of Rs.1447.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-finalisation of programme for launch of media campaign and receipt of less proposals.

(c) "Transfer to Reserve Fund/Deposit Account – Funds for Transfer to Prarambhik Shiksha Kosh" – saving of Rs.52680.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1278447.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from state implementing societies.

(B) "Secondary Education" –

(a) "Research and Training – National Council of Educational Research and Training" – saving of Rs.1100.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13341.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year and delay in construction work of building at PASSCIVE, Bhopal owing to cost escalation.

(b) "Assistance to Non-Govt. Secondary Schools" –

(i) "Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" – saving of Rs.49418.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.98346.00 lakhs); and

(ii) "Scheme for Setting up of 6000 Model Schools at Block Level as Bench Mark of Excellence" – saving of Rs.3029.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals from implementing agencies.

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 1500.00 लाख रु. की बचत (1850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान से ठोस प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''विद्यालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, बैठकों आदि और गैर-सरकारी सदस्यों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता पर व्यय'' - 149.96 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के संशोधन में विलम्ब होने के कारण हुई।

(iii) ''माध्यमिक विद्यालय में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा'' - 132.15 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों (बिना विधानमंडल वाले) से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''प्रौढ़ शिक्षा'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय'' - 226.36 लाख रु. की बचत 1398.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, बैठकें/संगोष्ठियां और अन्य कार्यकलाप कम संख्या में आयोजित किए जाने, पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों से अंतर्वैयक्तिक कार्यकलापों के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता'' - 2705.50 लाख रु. की बचत (10942.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अव्ययित शेष उपलब्ध होने और कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "Other Expenditure" –

(i) "Information and Communication Technology in Schools - Grants to Voluntary Organisations" – saving of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1850.00 lakhs) was due to non-receipt of concrete proposals from State Institute of Educational Technology.

(ii) "ICT in Schools – Expenditure on Seminars, Conferences, Workshop, Meetings etc. TA/DA to Non-Official Members" – saving of Rs.149.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to delay in revision of the scheme.

(iii) "Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS)" – saving of Rs.132.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the Union Territory Governments (without legislature).

(C) "Adult Education" –

(a) "Direction and Administration – Directorate of Adult Education" – saving of Rs.226.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1398.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less number of meetings/seminars and other activity conducted, non-receipt of viable proposals for inter personal activities from NER states and economy measures.

(b) "Other Adult Education Programmes – Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education and Skill Development Scheme"– saving of Rs.2705.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10942.00 lakhs) was due to availability of unspent balance and receipt of less number of proposals.

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण - विद्यालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' - 6289.82 लाख रु. की बचत (24400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान'' -

(क) ''राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' - 9052.10 लाख रु. की बचत (15000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''माध्यमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा'' - 713.71 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) ''भाषा शिक्षकों की नियुक्ति'' - 442.01 लाख रु. की बचत (1438.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(गा) ''प्रारंभिक शिक्षा - विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - राज्यों को सहायता'' - 22322.37 लाख रु. की बचत (570100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) ''प्रारम्भिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 11620.00 लाख रु. की बचत (42870.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3601" –"Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Secondary Education - Research and Training- Information and Communication Technologies in School" – saving of Rs.6289.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.24400.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from some State Governments.

(B) "Secondary Education - Other Grants" –

(a) "Rashtriya Madyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" – saving of Rs.9052.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

(b) "Inclusive Education for the Disabled at Secondary School (IEDSS)" – saving of Rs.713.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs); and

(c) "Appointment of Language Teachers" – saving of Rs.442.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1438.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of some proposals received from the State Governments.

(C) "Elementary Education – National Programme of Mid day meals in Schools – Assistance to States" – saving of Rs.22322.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.570100.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient number of proposals from the State Governments.

(D) "Elementary Education – Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions" – saving of Rs.11620.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.42870.00 lakhs) was due to scheme being under revision.

(VI) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(VI) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''माध्यमिक शिक्षा'' - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान'' - 968.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Secondary Education - Other Grants - Rashtriya Madyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)" – saving of Rs.968.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-finalisation of some proposals received from Union Territory Governments.

(खा) ''प्रारम्भिक शिक्षा - विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता'' - 5192.35 लाख रु. की बचत (7500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Elementary Education – National Programme of Mid day Meals in Schools – Assistance to Union Territory Governments" – saving of Rs.5192.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7500.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from Union Territory Governments.

(गा) ''प्रारभिक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण) - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 674.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्ताव सम्पूर्ण रूप में प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Elementary Education (Teacher Training) - Strengthening of Teachers Training Institutions" – saving of Rs.674.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from the Union Territory Governments.

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत 335.60 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक किन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 35 प्रतिशत से 71 प्रतिशत तक थीं।

(VII) Under four heads savings of Rs.335.60 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 35 percent to 71 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (58852.14 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 1771.03 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.58852.14 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1771.03 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202''-

(A) Major Head "2202" –

(क) ''प्रारम्भिक शिक्षा - अन्य व्यय - महिला समाख्या'' - 400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक व्यय 385.00 लाख रु. था।

(a) "Elementary Education – Other Expenditure – Mahila Samakhya" – Rs.400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.385.00 lakhs.

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा'' -

(i) ''गैर-सरकारी विद्यालयों को सहायता'' -

(1) ''केन्द्रीय विद्यालय संगठन'' - 34261.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 34260.75 लाख रु. था।

(2) ''तिब्बती शरणार्थी बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं (तिब्बती विद्यालय सोसाइटी)'' - 216.80 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 216.55 लाख रु. था।

(3) ''आदर्श विद्यालयों की स्थापना (नवोदय विद्यालय)'' - 16491.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 16490.75 लाख रु. था।

(ii) ''अन्य व्यय - अभिवृद्धि और इक्विटी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 50.60 लाख रु.।

(ग) ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम - प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास स्कीम'' - 5689.28 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5039.48 लाख रु. था।

(घ) ''सामान्य - छात्रवृत्ति - राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - 69.84 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 69.83 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान - माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन संबंधी स्कीम'' - 1614.75 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1613.74 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - अन्य

(b) "Secondary Education" –

(i) "Assistance to Non-Government Secondary Schools" –

(1) "Kendriya Vidyalaya Sangathan" – Rs.34261.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.34260.75 lakhs.

(2) "Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society)" – Rs.216.80 lakhs. Actual excess, however, was Rs.216.55 lakhs.

(3) "Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas)" – Rs.16491.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.16490.75 lakhs.

(ii) "Other Expenditure – Access and Equity – Grants to Voluntary Organisations" – Rs.50.60 lakhs.

(c) "Adult Education – Other Adult Education Programmes – Adult Education and Skill Development Scheme" – Rs.5689.28 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5039.48 lakhs.

(d) "General – Scholarship – National Means cum Merit Scholarship Scheme" – Rs.69.84 lakhs. Actual excess, however, was Rs.69.83 lakhs.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secondary Education – Other Grants – Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools" – Rs.1614.75 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1613.74 lakhs.

(C) Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secondary Education –

अनुदान - माध्यमिक विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा'' - 58.87 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 57.86 लाख रु. था।

Other Grants –Inclusive Education for the Disabled at Secondary Schools (IEDSS)" – Rs.58.87 lakhs. Actual excess, however, was Rs.57.86 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – under the following heads:-

(का) "प्रारंभिक शिक्षा - अन्य अनुदान - मदरसों में गुणता शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम'' - 374.18 लाख रु. का अधिक व्यय (4249.00 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "Elementary Education – Other Grants – The Scheme for Providing Quality Education in Madrassas (SPQEM)" – excess of Rs.374.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4249.00 lakhs); and

(खा) "माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान - माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं के प्रोत्साहन संबंधी राष्ट्रीय स्कीम'' - 314.28 लाख रु. का अधिक व्यय (4250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "Secondary Education – Other Grants – National Scheme for Incentive to the Girl Child for Secondary Education (SUCCESS)" – excess of Rs.314.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4250.00 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "6202'' शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज	Major Head "6202" Loans for Education, Sports, Art and Culture				
पू.	S.	75000.00	25000.00	25000.00	. .
पु.	R.	–50000.00			

(I) ''सामान्य शिक्षा - माध्यमिक शिक्षा - राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - 50000.00 लाख रु. की बचत (75000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समग्र निधि की प्रस्तावित समाप्ति के कारण हुई।

4. ***प्रारंभिक शिक्षा कोष***

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क ओर सेवा कर पर 2% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तत्कालीन प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया।

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय ''सर्वशिक्षा अभियान'' और ''दोपहर का भोजन स्कीम'' पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी। किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में अन्य बजटीय संसाधनों से वहन किया जाएगा। इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्तपोषण अन्य बजटीय संसाधनों के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलबध कराया जाएगा।

शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए नव गठित प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2009-10 में 12784.47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान और दोपहर का भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा कोष से प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2009-10 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी।

(I) Under “General Education – Secondary Education – National Means cum Merit Scholarship Scheme” – saving of Rs.50000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.75000.00 lakhs) was due to proposed winding up of Corpus Fund.

4. ***Prarambhik Shiksha Kosh:-***

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalisation of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @2% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax, Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

A non-lapsable funds called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes “Sarva Shiksha Abhiyan’ and “Mid-Day Meal Scheme”. Expenditure incurred on these schemes, in any financial year, shall initially be incurred from Other Budgetary Resources (OBR). Component of Plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shiksha Kosh only after OBR is exhausted.

A provision of Rs.12784.47 crores was made in the Union Budget 2009-10 for initial transfer to the newly created Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2009-10 for amount to be recouped from Prarambhik Shikasha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

वर्ष 2009-10 में संबंधी निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for the year 2009-10 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	1777,25,54
प्राप्तियां	Receipts	12257,67,00
अदायगियां	Payments	13998,10,98
अंतशेष	Closing Balance	36,81,56